संख्या-1967/9-आ-1-2001-6 रिट/2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनाँक-27 अप्रैल, 2001

विषय : समाज के विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नि:शक्त, जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-43 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को आवास, व्यवसाय, मनोरंजन, विश्वविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र तथा उद्योग केन्द्र आदि लगाने हेतु मान्यता के आधार पर रियायती दर पर भूमि आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में एक योजना बनाये जाने की अपेक्षा की गई है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्रिपरिषद की एक उप समिति का गठन किया गया था। उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर माननीय मंत्रि परिषद द्वारा लिए गये निर्णयों में एक निर्णय यह भी था कि विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि/भवन आवंटन करने के संबंध में योजना बनाकर कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ में विचाराधीन याचिका संख्या- 361 (एम0बी0)/2000 राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.1.2000 द्वारा राज्य सरकार को एक योजना तैयार करने के आदेश दिये गये थे। उक्त योजना को समुचित रूप से तैयार करने हेतु आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसकी संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत लिये गए हैं :-

(1) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन/भूखण्डों के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों को 3% का आरक्षण प्रदान किया जायेगा जो होरिजेन्टल प्रकृति का होगा। इस संबंध में शासनादेश संख्या- 2680/9-आ-1-98-42 विविध/96, दिनांक 31.8.1998 द्वारा पूर्व में ही विकलांग व्यक्तियों के लिये 1% का वर्टिकल आरक्षण एवं 3% का होरिजेन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। तद्नुसार उक्त शासनादेश में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है।

(2) दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0) एवं अल्प आय वर्ग (एल0आई0जी0) के सामान्य रूप से विकलांग आवेदकों को भवन/भूखण्ड के मूल्य में 10% एवं गम्भीर रूप से विकलांग आवेदकों को 20% की रियायत प्रदान की जायेगी। दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के वर्गीकरण हेतु आमदनी की सीमा सामान्य से 1.5 गुना होगी। अर्थात यदि दुर्बल आय वर्ग की सामान्य आय सीमा रू0 1200/- प्रतिमाह है तो इस प्रयोजन हेतु वह सीमा रू0 1800/- प्रतिमाह होगी।

(3) नि:शक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा- 43 में विकलांगों के लिए कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु रियायती दर पर भूमि के आंवटन की अपेक्षा की गई है :

i) व्यापार/उद्योग की स्थापना।
ii) विशेष मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना।
iii) विशेष विद्यालयों/पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना।
iv) अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना।

v) विकलांग उद्यमियों द्वारा कारखानों की स्थापना।

vi) पुर्नवास, गतिशीलता, सहायतात्मक युक्तियों के लिए कार्यशालाओं की स्थापना।

उपरोक्त प्रयोजनों हेतु अर्ह संस्थाओं को भूखण्डों के आवंटन में रियायत प्रदान करते हुये सेक्टर दर के 30% मूल्य पर निम्नलिखित शर्तों के साथ आवंटन किया जायेगा :

1. केवल वही संस्थायें अर्ह होंगी जो निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा-52 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत हों। वित्तीय रियायत केवल उन्हीं संस्थाओं को उपलब्ध होगी जिनके कार्यों के लाभार्थी शत-प्रतिशत विकलांग व्यक्ति ही हों।
2. कोई भी भूखण्ड एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल का नहीं होगा।
3. ऐसी सम्पत्तियां केवल लीज़ पर दी जायेंगी और उन्हें फ्रीहोल्ड नहीं किया जायेगा क्योंकि आवंटन विशिष्ट प्रयोजन हेतु रियायती दर पर किया जा रहा है।
4. अधिनियम की धारा-52 के अन्तर्गत पंजीकरण समाप्त होने अथवा निरस्त किए जाने की स्थिति में लीज़ स्वतः समाप्त मानी जायेगी और ऐसी तिथि से तीन महीने की अवधि में भूमि रिक्त अवस्था में प्राधिकरण को वापस कर दी जायेगी अन्यथा प्राधिकरण उस पर स्वयं कब्जा करने के लिए अधिकृत होगा।

उपरोक्त संस्थाओं को भूखण्ड आंवटित करने के लिए निम्न प्रक्रिया/व्यवस्था निर्धारित की जाती है :

1- प्रत्येक आवासीय योजना के ''इन्स्टीट्यूशनल'' एरिया में 3% भूमि भूखण्ड के रूप में ऐसी संस्थाओं को आवंटन हेतु आरक्षित की जायेगी।

2- उपलब्ध भूखण्ड के आवंटन हेतु सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जायेंगे। प्राप्त आवेदनों म अर्ह संस्थाओं को छांटने के उपरान्त उनका चयन प्राधिकरण/परिषद् द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें अन्य सदस्यों के अतिरिक्त अधिनियम की धारा-60 में नियुक्त आयुक्त अथवा उनका नामित व्यक्ति अवश्य सम्मिलित होगा।

(4) उपर्युक्त आवंटन के फलस्वरूप आने वाले व्ययभार का वित्त पोषण 'क्रास सब्सिडी' के माध्यम से किया जायेगा, जो पूरी योजना पर डाला जायेगा। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं में भूमि/भवन के विक्रय मूल्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाय और उक्त रियायत को विक्रय हेतु उपलब्ध शेष भूमि/भवन पर भारित किया जाय। उदाहरणस्वरूप 3% आरक्षण इस श्रेणी के लिए उपलब्ध होगा तो भूमि की कास्टिंग में 3% मूल्य इस रियायत हेतु भारित किया जायेगा। क्रास सब्सिडी का भार सीमा में रहे, इसलिए प्रश्नगत वित्तीय भार ऐसी ही योजनाओं पर डाला जा सकेगा जहाँ पर 50% से अधिक विक्रयशील भूमि निस्तारण हेतु अभी शेष है। इसलिए ऐसी ही योजनाओं में उपरोक्त व्यवस्थाएं लागू होंगी। प्राधिकरण/परिषद् तत्काल योजनाओं की इस दृष्टि से समीक्षा कर लें तथा सूची तैयार करें कि किन-किन योजनाओं में व्यक्तिगत आरक्षण एवं किन योजनाओं में संस्थागत आरक्षण उपलब्ध होगा।

अतः कृपया उर्पयुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

सचिव

<u>संख्या-1967(1)/9-आ-1-2001 तद दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समाज कल्याण आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

अमिताभ त्रिपाठी

अनु सचिव

संख्या : 786/आठ–1–08–25विविध/07

प्रेषक,

आर.के.सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 30 जनवरी, 2008

विषय : उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 1967/9–आ–1–01–6रिट/2000 दिनॉक 27.04.01 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा वर्ष 2002–03 में दृष्टिहीन संघ की मॉगों पर की गयी घोषणाओं/आश्वासनों आदि की समयबद्ध ढंग से पूर्ति किये जाने हेतु मा. अध्यक्ष, उ.प्र. राज्य सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जा रही आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों में विकलांगजन के लिए प्रत्येक श्रेणी में 3 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया जाये तथा विकलांगजन अधिनियम, 1995 की धारा–43 के अनुसार आवश्यक रियायतें दी जायें।

3– इस संबंध में उक्त संदर्भित शासनादेश दिनॉक 27.04.01 के क्रम में, सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि व्यवसायिक तथा समस्त आवासीय भवनों के भूखण्डों पर सामान्य रूप से विकलांग आवेदकों को 10 प्रतिशत तथा गम्भीर रूप से विकलांग आवेदकों को 20 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाये। उपर्युक्त रियायत के फलस्वरूप आने वाले व्यय भार का वित्त पोषण पूर्व व्यवस्था की भॉति 'क्रास सब्सिडी' के माध्यम से किया जायेगा, जो सम्पूर्ण योजना पर डाला जायेगा। क्रास सब्सिडी का भार सीमा में रहे, अतः प्रश्नगत वित्तीय भार ऐसी ही योजनाओं पर डाला जायेगा, जहॉ 50 प्रतिशत से अधिक विकयशील भूमि निस्तारण हेतु अभी शेष हो।

4– संदर्भित शासनादेश दिनॉक 27.04.01 में की गयी व्यवस्थाओं को पुनः स्पष्ट करते हुए निदेशित किया जाता है कि विकलांग आवेदकों को उपलब्ध 3 प्रतिशत

का हॉरिजेण्टल आरक्षण प्रत्येक श्रेणी (ई.डब्लू.एस., एल.आई.जी., एम.आई.जी. — एच.आई.जी. तथा व्यवसायिक) के भवनों/भूखण्डों पर लागू है।

5— संदर्भित शासनादेश दिनॉक 27.04.01, उपर्युक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित सीमा तक आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है, उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्थाऐं यथावत् प्रभावी रहेंगी।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर.के.सिंह)
विशेष सचिव

संख्या : 786(1)/आठ–1–08, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आर.के. सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-1900 / आठ-1-08-25 विविध / 07

प्रेषक,

एच. पी. सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 08 जुलाई, 2008

विषय : उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-786 / आठ-1-08-25 विविध / 07, दिनांक 30.01.2008 द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित / निर्मित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों / भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह व्यवस्था की गई है कि व्यवसायिक तथा समस्त आवासीय भवनों / भूखण्डों पर सामान्य रूप से विकलांग आवेदकों को 10 प्रतिशत तथा गंभीर रूप से विकलांग आवेदकों को 20 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाए तथा उक्त रियायत के फलस्वरूप आने वाले भार का वित्त पोषण पूर्व व्यवस्था की भांति 'क्रास-सब्सिडी' के माध्यम से किया जाएगा, जो सम्पूर्ण योजना पर डाला जायेगा। 'क्रास-सब्सिडी' का भार सीमा में रहे, अतः प्रस्तावित वित्तीय भार ऐसी ही योजनाओं पर डाला जायेगा, जहां 50 प्रतिशत से अधिक विक्रयशील भूमि निस्तारण हेतु उपलब्ध हो। शासन द्वारा विचारोपरान्त यह पाया गया है कि जिन योजनाओं में 50 प्रतिशत से अधिक विक्रयशील भूमि निस्तारण हेतु शेष नहीं है, उन योजनाओं में विकलांगजनों को उक्त आरक्षण एवं मूल्य में रियायत का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवंटी विकलांगजनों को उपरोक्त छूट देते हुए 'क्रास-सब्सिडी' की धनराशि को उसी योजना में अवशेष अनिस्तारित सम्पत्तियों पर भारित किया जायेगा। यदि उस योजना में विक्रयशील परिसम्पत्तियां अवशेष नहीं रह गई हों, तो अन्य योजनाओं, जहां पर अपेक्षाकृत अधिक मात्रा / सम्पत्तियां निस्तारण हेतु शेष हों, उन पर भारित किया जाए। जहां तक अन्य श्रेणी के भवन / भूखण्डों को विकलांगजन आवंटियों को उल्लिखित छूट देने का प्रश्न है, परिषद / विकास प्राधिकरण की नयी योजनाओं में सभी वर्ग के विकलांगजन आवंटियों को दी जाने वाली रियायत की धनराशि को 'क्रास-सब्सिडी' के माध्यम से भारित किया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें।

भवदीय
(एच. पी. सिंह)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। 2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन। 3. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। 4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश। 5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक (अनुश्रवण) आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबंधितों को सूचित करने का कष्ट करें। 8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(एच. पी. सिंह)
अनु सचिव

संख्या:3/2018/1022/आठ-1-18-93विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्षत,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

4. नियंत्रक अधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2018

विषयः **प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में "वरीयता नीति" की व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) योजना के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक योजना के क्रियान्वयन हेतु आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश-2015 के बिन्दु संख्या-6.5 में उल्लेख है कि "एएचपी परियोजनाओं में चिन्हित पात्र लाभार्थियों को आवासों का आवंटन "एसएलएसएमसी द्वारा यथा अनुमोदित पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया जाना चाहिए तथा चयनित लाभार्थी एचएफएपीओए का हिस्सा हो। आवंटन में प्राथमिकता शारीरिक रूप से निःसहाय लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, उभयलिंगी तथा समाज के अन्य कमजोर तथा उपेक्षित वर्गों को दी जाए। आवंटन करते समय, अशक्त व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों वाले परिवारों को प्राथमिक रूप से भूतल अथवा नीचे तलों पर आवासों का आवंटन किया जाय"।

2- उक्त के अनुक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में निम्नवत् "वरीयता नीति" की व्यवस्था की जाती हैः-

(अ) **वर्टिकल वरीयताः-**

क्र. सं.	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	2
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27

(ब) **हारिजन्टल वरीयता**

क्र. सं.	श्रेणी	हारिजन्टल वरीयता प्रतिशत
1.	दिव्यांगजन	05% (वरीयता-भूतल के भवन/फ्लैट)
2.	विधवा/एकल महिला	08%
3.	उभयलिंगी	0.5%
4.	अल्पसंख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है

http://shasanadesh.up.nic.in

5.	वरिष्ठ नागरिक	10 (वरीयता-भूतल के भवन/फ्लैट)

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) योजना के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक योजना के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,
नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प. शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नीति को समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in